राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान
निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, जयपुर
फोन न. 0141–2225715 Mail ID : projectdirector.fw@gmail.com

क्रमांक एफ ( ) पीडी / प.क. / Vasectomy Day / 2018–19 / 103 दिनांक – 2/5/2018

परिपत्र

पुरूष नसबंदी दिवस

प्रत्येक माह का तीसरा बुधवार

राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत परिवार नियोजन के स्थाई साधनों को अपनाने में महिलाओं की तुलना में पुरूषों की भागीदारी काफी कम है। परिवार नियोजन के स्थाई साधनों में सुरक्षित, जल्दी और आसान होने के बावजूद पुरूष नसबंदी की हिस्सेदारी लगभग 1.5 प्रतिशत है। वर्तमान में परिवार नियोजन कार्यक्रम में पुरूषों की भागीदारी को बढानें की आवश्यकता है। राज्य में परिवार नियोजन में पुरूषों की भागीदारी को बढानें के लिए **प्रत्येक माह के तीसरे बुधवार को "पुरूष नसबंदी दिवस"** आयोजित किया जायेगा।

– पुरूष नसबंदी दिवस का लोगो (Logo) –

तीसरा
बुधवार
पुरूष नसबंदीवार

–: पुरूष नसबंदी दिवस के आयोजन हेतु दिशा निर्देश :–

जिला स्तर पर

- जिले के FDS Plan बनाते समय प्रत्येक माह तीसरा बुधवार को पुरूष नसबंदीवार के रूप में मनाया जाना सुनिश्चित करें।
- अतिरिक्त/ उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.), जिले में उपलब्ध एन.एस.वी. प्रशिक्षित सेवा प्रदाताओं की टीम बनाएगे व उसी के अनुसार तीसरे बुधवार को कितने FDS लगाए जा सकते हैं, उसकी कार्ययोजना ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारियों से बार्तालाप कर बनाएंगे, ताकि अधिक से अधिक संख्या में पुरूष नसबंदी की जा सके।

- जिला स्तर पर केबल टीवी तथा अखबार के माध्यम से तीसरा बुधवार पुरूष नसबंदीवार का प्रचार प्रसार किया जाए।
- अतिरिक्त/ उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.), जिला आई.ई.सी. समन्वयक व जिला कार्यक्रम प्रबंधक के साथ मिलकर इस पहल को सफल बनाने हेतु कार्ययोजना बनाएंगे।
- एन.एस.वी. प्रशिक्षित सेवा प्रदाताओं की उपलब्धता के अनुरूप जिले के प्रत्येक ब्लॉक में इन FDS का आयोजन किया जाए या माहवार ब्लॉक को बदला जाए।
- यह अवश्य सुनिश्चित करें कि जिन संस्थाओं पर तीसरा बुधवार को पुरूष नसबंदीवार मनाया जाना है, वहां पर FDS team, समय पर पहुंचे।
- तीसरे बुधवार हेतु जिला कलेक्टर द्वारा उचित दिशा निर्देश अन्य विभागों को भी सहयोग देने हेतु दिए जावें ताकि इसकी सफलता को सुनिश्चित किया जा सके।
- जिन जिलों में एन.एस.वी. सेवा प्रदाताओं की कमी है वह राज्य पर एन.एस.वी. प्रशिक्षण हेतु नामांकन भेजें।
- जिन जिलों में FRHS (MSI) की टीम सेवाएं दे रही हैं, उन्हे भी तीसरे बुधवार हेतु FDS योजना में शामिल किया जावे।

ब्लॉक स्तर पर

- प्रत्येक ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी तीसरे बुधवार से कम से कम 10 दिन पहले ब्लॉक स्तर पर मीटिंग का आयोजन करेगें, जिसमें कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु प्रबंधन, पुरूषों को प्रेरित करने के लिए योजनाए, चिकित्सा प्रभारियों तथा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं एवं आशा सहयोगिनी से बात कर अधिक से अधिक पुरूषों को प्रेरित किया जाए।
- ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी व ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधक उस संस्था का दौरा पहले से करेगें जहां पर पुरूष नसबंदीवार मनाया जाना तय हुआ है और यदि संभव हो तो वहां के गांव के सरपंच से बात कर अधिक से अधिक संख्या में पुरूष नसबंदी हेतु भागीदारी को सुनिश्चित करेगें।
- ब्लॉक में जिस संस्था पर पुरूष नसबंदीवार मनाया जाना तय हुआ है वहां पर पहले से जोरशोर से प्रचार–प्रसार किया जावे इसके लिए संबधित ब्लॉक कार्यक्रम प्रबधक चिकित्सा प्रभारियों के साथ मिलकर कार्ययोजना बनाए।
- संस्था पर प्रचार प्रसार इस प्रकार किया जाए ताकि तीसरे बुधवार को उस संस्था को देखकर ही इस प्रकार के कार्यक्रम का पता चल सके।
- ब्लॉक स्तर पर भी आई.ई.सी. सुनिश्चित करवाई जाए।
- ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी यह अवश्य सुनिचित करे कि ब्लॉक में जिस संस्था पर एन.एस.वी. दिवस का आयोजन किया जा रहा है वहां पर सम्पूर्ण ब्लॉक के लाभार्थी पहुंचें।
- पुरूष नसबंदी दिवस के सफल आयोजन में प्रत्येक चिकित्सा अधिकारी, एलएचवी, एएनएम, ब्लॉक/पीएचसी आशा सुपरवाईजर, आशाओं की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जावें।

संस्था स्तर पर

- सबंधित चिकित्सा प्रभारी तीसरे बुधवार के कम से कम एक सप्ताह पूर्व सभी ए.एन.एम. व आशा सहयोगिनियों के साथ बैठक कर अधिक से अधिक पुरूष नसबंदी भागीदारी को सुनिश्चित करेगें।
- संस्था के आसपास के गावों के सरपंचों के साथ मिलकर तीसरे बुधवार की सफलता हेतु चर्चा करेगें।
- सबंधित चिकित्सा प्रभारी के पास तीसरे बुधवार के कम से कम एक दिन पूर्व संभावित पुरूषों की सूचि होनी चाहिए जो पुरूष नसबंदी के लिए तैयार हैं।
- सबंधित तीसरे बुधवार को संस्था पर पुरूषों की काउन्सलिंग की व्यवस्था की जाए।
- लाभार्थियों को यह अवश्य बताया जाए कि उन्हे नसबंदी प्रमाण पत्र तीन माह पश्चात इसी संस्था पर वीर्य जांच के उपरान्त दिया जाएगा।

- लाभार्थियों को यह भी अवश्य बताया जाए कि नसबंदी के उपरान्त [illegible] तीन महीने तक निरोध का इस्तेमाल करना है तथा निरोध देना भी सुनिश्चित करें।

तीसरे बुधवार की रिपोटिंग

जिला स्तर से तीसरे बुधवार शाम ही को राज्य स्तर पर रिर्पोटिंग भिजवाना सुनिश्चत करेंगे।

कम सं	जिले का नाम	ब्लॉक का नाम जहां FDS प्लान किए गए	संस्था का नाम जहां FDS किया गया	FDS में आए कुल लाभार्थियों की संख्या	उन संस्थाओं का नाम जहां पर FDS करने के बाद एक भी पुरूष नसबंदी नही हुई।	संबंधित बी. सी.एम.ओ व एम.ओ. आई.सी. का नाम एवं फोन नं0
I	II	III	IV	V	VI	

- **नोट :– रिपोर्ट राज्य स्तर पर ई–मेल projectdirector.fw@ gmail.com पर प्रेषित की जाये।**

पुरूष नसबंदी दिवस के आयोजन हेतु बजट:–

Male Sterilization Fixed Day Services (FDS) (Rs. 5000/-)

प्रत्येक पुरूष नसबंदी दिवस में गुणवत्तापूर्ण सेवाऐं उपलब्ध कराने हेतु उक्त बजट मद में प्रति नियत दिवस सेवा (FDS) के लिए रु. 5000/– अधिकतम का न्यूनतम 3–5 पुरुष नसबंदी केस होने पर स्वीकृत है।

पुरूष नसबंदी नियत दिवस सेवा (FDS) के आयोजन हेतु निम्न व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए उक्त बजट मद में से व्यय किया जा सकता है–

प्रचार प्रसार हेतु:–

1. नियत दिवस सेवा (FDS) के प्रचार–प्रसार हेतु अधिकतम राशि रु. 1000/– तक व्यय की जा सकती है, जिसमें आडियो वीडियो/माईकिंग/पेम्पलेट/दीवार लेखन/फ्लेक्स बैनर हेतु किया जा सकता है।
2. प्रचार–प्रसार हेतु वाहन – प्रचार प्रसार हेतु एक किराए का वाहन अधिकतम रु. 1000/– प्रति दिन अधिकतम 2 दिन तक किया जा सकता है। यदि संस्था में राजकीय वाहन उपलब्ध हो तो उक्त राशि का उपयोग पीओएल हेतु किया जा सकता है।
3. जिला प्रशासन के सहयोग से सिनेमाघर अथवा केबल पर स्लाईड द्वारा प्रचार–प्रसार/ फिल्म शो के माध्यम से प्रचार–प्रसार किया जावे।
4. नसबंदी नियत दिवस सेवा (FDS) प्रबंधन हेतु कार्यशाला/बैठक का आयोजन किया जावे जिसमें गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि/प्राईवेट स्वास्थ्य सेवा प्रदाता/आशा सहयोगिनी/पंचायती राज संस्थान के प्रतिनिधि/आँगनवाड़ी कार्यकर्ता को सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु आमंत्रित किया जावे। उपरोक्त गतिविधि हेतु अधिकतम रु. 500/–तक व्यय किया जा सकता है।

पुरुष नसबंदी नियत दिवस सेवा (FDS) प्रबंधन हेतुः–

1. पुरूष नसबंदी नियत दिवस सेवा (FDS) स्थल की अच्छा साफ–सफाई हेतु।
2. ऑपरेशन थिएटर को कीटाणुरहित करने हेतु आवश्यक सामग्री का क्रय किया जा सकता है– जैसे ब्लीचिंग पावडर, पोछा, हायपोक्लोराईड साल्यूशन, साबुन आदि हेतु।
3. लाभार्थियों के बैठने एवं रुकने के लिए स्थल एवं शौचालय की साफ–सफाई चिकित्सा संस्थान में पदस्थ सफाई कर्मचारी से करवाई जाए। सफाई कर्मचारी की अनुपलब्धता होने पर बाहर से श्रमिक द्वारा सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
4. लाभार्थियों के साथ आए अटेंडेंट एवं प्रेरक के लिए उचित बैठक व्यवस्था हेतु दरी, कुर्सी, पंखे, कूलर, पीने का पानी, आदि की व्यवस्था की जावें। नियत दिवस सेवा (FDS) हेतु उक्त सामग्री/संसाधन चिकित्सा संस्थान में उपलब्ध नही होने पर किराए पर ली जा सकती है।
5. लाभार्थियों के साथ आए अटेंडेंट एवं प्रेरक के लिए नसबंदी क्षतिपूर्ति मद में रु. 10/केस रिफ्रेशमेंट का प्रावधान स्वीकृत है। इसके अतिरिक्त आवश्यकता होने पर इस मद में उपलब्ध राशि से व्यय किया जा सकता है।
6. नियत दिवस सेवा (FDS) स्थल पर बिजली की व्यवस्था सुनिश्चित करें एवं किसी कारणवश बिजली नही होने पर किराए पर जनरेटर अथवा संस्था में उपलब्ध **जनरेटर हेतु पीओएल** की व्यवस्था की जा सकती है। उक्त दोनों व्यवस्थाऐं न होने पर इमरजेंसी लाईट/वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकती है।

लाभार्थियों के लिए दरी, गद्दे, चादर, कंबल/कूलर, पंखे, पीने का पानी आदि की अनुमानित लाभार्थियों की संख्या के अनुसार समुचित व्यवस्था की जावे।

तीसरे बुधवार की सफलता एवं राज्य स्तर से निगरानी एवं समन्वय हेतु निम्नांकित अधिकारियों की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाती हैः–

क्र.सं	अधिकारी का नाम व पद	आंवटित संभाग
1	अति. निदेशक (आरसीएच) मुख्यालय	जोधपुर संभाग
2	संयुक्त निदेशक (प.क.) मुख्यालय	कोटा संभाग
3	उप निदेशक (प.क.) मुख्यालय	भरतपुर संभाग
4	परियोजना निदेशक (प.क.) मुख्यालय	अजमेर एवं जयपुर संभाग
5	राज्य परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रबंधक	उदयपुर संभाग
6	कार्यक्रम अधिकारी (प.क.)	बीकानेर संभाग

(नवीन जैन)
मिशन निदेशक, एनएचएम
शासन सचिव, चि.एवं स्वा.
विभाग, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प.क. विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण व मिशन निदेशक (एनएचएम)।
3. निजी सहायक, निदेशक, आरसीएच/जन–स्वास्थ्य।
4. अतिरिक्त निदेशक (आरसीएच)
5. संयुक्त निदेशक (प.क.)
6. परियोजना निदेशक (प.क.)
7. उप निदेशक (प.क.)
8. राज्य कार्यक्रम प्रबंधक, एनएचएम।
9. संयुक्त निदेशक (जोन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं संबंधित संभाग।
10. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
11. समस्त अति./उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.)।
12. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक/जिला लेखा प्रबंधक/जिला आशा समन्वयक/जिला आईईसी समन्वयक, एनएचएम।
13. समस्त ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
14. राज्य कार्यक्रम समन्वयक, यूएनएफपीए, एफआरएचएसआई, आईपीई ग्लोबल, एनजेण्डर हैल्थ, पाथफाइण्डर इन्टरनेशनल को प्रेषित कर लेख है कि तीसरे बुधवार पुरूष नसबंदीवार के आयोजन में आवश्यक सहभागिता सुनिश्चित करें एवं आप अपने जिला समन्वयक से कार्यक्रम की सफल आयोजन हेतु दिशा निर्देशों की पालना में सहयोग देना सुनिश्चित करावें।
15. प्रभारी, सेन्ट्रल सर्वर रूम।

निदेशक (आरसीएच)
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प.क. सेवाएं
राजस्थान, जयपुर